प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0 मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक,
सी0आर0सी0 सीनियर सेकेण्ड्री पब्लिक स्कूल,
पावी सादकपुर लोनी, गाजियाबाद ।

पत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / 156 दिनांक– 24 जुलाई, 2025

विषयः सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 6–10) तथा इण्टरमीडिएट मानविकी तथा वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आयोजित मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 912 / 15–7–2025 – 1 (02) / 2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 (यथा संशोधन 2022) की धारा 7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था **सी0आर0सी0 सीनियर सेकेण्ड्री पब्लिक स्कूल, पावी सादकपुर लोनी, गाजियाबाद** को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की परीक्षा वर्ष 2027 में हाईस्कूल के निम्नलिखित सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो के अधीन सभी अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) तथा इण्टरमीडिएट मानविकी तथा वैज्ञानिक एवं वाणिज्य नवीन वर्ग की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा 6–12 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व विद्यालय संचालन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था ,साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 6–12 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित न की जायें।

(4) इस पत्र में अंकित विषयो के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संयुक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतो से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) यह मान्यता वित्तविहीन प्रदान की जा रही है। विद्यालय की प्रशासनिक एंव शिक्षण की व्यवस्था तथा साज सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्थाओं के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। और तद्नुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में अध्यापकों कार्यरतएंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी ।

(ग) विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता का नवीनीकरण 3 वर्ष के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

(घ) प्रतिभूति(जमानत) की धनराशि रू0–5000=00(रू0–15000=00 प्रति0 वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(ड) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाए मान्य नही होगी।

(च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्व मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय / वैकल्पिक विषय
सीधे हाईस्कूल नवीन (6–10)–	**नवीन पाठ्यक्रमानुसार समस्त अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयं।**
	एवं
इण्टर मानविकी वर्ग–	हिन्दी, अग्रजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, कला, गृहविज्ञान, इतिहास ,शिक्षाशास्त्र।
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग –	**सामान्य हिन्दी, अग्रेजी, गणित,भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, कम्प्यूटर।**
तथा	
इण्टर वाणिज्य वर्ग नवीन–	**सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र।**

<u>टिप्पणी</u> –इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0 / 156 (1–4) दिनांकः 24 जुलाई, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 उप सचिव (शिक्षा –7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2 सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश ,प्रयागराज।
3 संयुक्त शिक्ष निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।
4 जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव